

11.06.2024 पत्रावली पेश हुई।

श्रीधिवक्ता उभयपक्ष इत्यस्मात् / श्रीधिवक्ता प्रधीगण
इत्ये अपने प्राधान्य-पत्र के जरिये नोटिफिकेशन
करने का निवेदन किया।

श्रीतः श्रीधिवक्ता प्रधीगण के निवेदन पर
प्राधान्य-पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान अधिनियम,
श्रीधिवक्ता के इस पत्र पर जरिये नोटिफिकेशन
करिये जायें।

पत्रावली के तल्ल धुमा घेवर नंबर
से वृत्त के जाकर शाब्दिक रूप से (पुनः)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्टट्रेक) सांचौर

Not process

PS